न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर एवं अति.जिला मजिस्ट्रेट–प्रथम, जयपुर

परिवाद संख्याः 03/2021 GCMS No:- 2021/66

सरकार जरिये दीपक कुमार सिंधी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय।

...प्रार्थी

बनाम

1. श्री बबलू कुमार शर्मा पुत्र श्री छुट्टन लाल शर्मा (विक्रेता एवं मालिक)
मैसर्सः– हनुमान पनीर भण्डार,
विनायक सरोवर, पत्रकार कॉलोनी, मानसरोवर, जयपुर–302020
हाल पिकअप संख्या RJ 14 GL 1976
पुलिस थाना कानोता, तह0 बस्सी, जिला जयपुर।
मूल निवासी–एस–8, चौधरी रोडूराम नगर, डिस्पेंसरी के पास,
पत्रकार कॉलोनी, मानसरोवर, जयपुर।

... अप्रार्थी–अभियुक्त

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (2)
एफ.एस.एस. एक्ट, 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांकः 19/05/2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 21.03.2021 को रात्रि 9.00 पी.एम पर पुलिस थाना कानोता, जयपुर द्वारा दूरभाष पर दी गई सूचना पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियो का दल पुलिस थाना कानोता जयपुर पर पहुंचा एवं मौके पर थाना अधिकारी द्वारा दी गई तहरीर क्रमांक 1827 दिनांक 21.03.2021 के अनुसार पुलिस कन्ट्रोल रूम जयपुर की सूचना पर पकडी गई पिकअप संख्या RJ-14 GL 1976 मालिक अप्रार्थी बबलू कुमार शर्मा द्वारा पनीर को विक्रय हेतु उसमें परिवहन कर ले जाया जा रहा है की खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत जांच करवाने तथा अग्रिम कार्यवाही बाबत लिखा गया तहरीर की मूल प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार सिंधी द्वारा पुलिस थाना कानोता, जयपुर परिसर में खडी हुई पिकअप संख्या RJ-14 GL 1976 का निरीक्षण करने पर इस पिकअप में लोहे के 6 बॉक्सो लगभग 300 कि.ग्रा. पनीर रखा हुआ था जो कि सिकराय, जिला दौसा से परिवहन कर जयपुर में आम जनता को विक्रय हेतु ले जाया जा रहा था जिसमें गुणवत्ता की कमी का अंदेशा होने वास्ते नमूना जांच हेतु एक लोहे के बॉक्स में से 1 किलोग्रामं पनीर वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत राशि रूपये 240/– देकर इस पनीर के मालिक एवं विक्रेता श्री बबलू कुमार शर्मा का नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री अंतर सिंह, श्री शिशपाल तथा श्री संदीप अग्रवाल के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने श्री बबलू कुमार शर्मा से वर्ष 2021 का खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र मांगा जिस पर उन्होनें मौके पर फर्म के खाद्य रजिस्ट्रेशन एवं वाहन की आरसी की छायाप्रतियां प्रस्तुत की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर; एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 1 कि.ग्रा. पनीर को विक्रेता एवं गवाहान के समक्ष चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक के जार दिखाकर उक्त खरीदशुदा 1 कि.ग्रा. पनीर को प्रत्येक जार में बराबर–बराबर डाला एवं प्रत्येक जार को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक जार पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के कोड एवं कमांक AN-2213 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारो नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नंबर AN-2213 नियमानुसार चारों नमूना बोतलों पर नीचे से उपर गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार इस प्रकार करवाये हस्ताक्षर पेपर स्लिप व रैपर दोनो पर आवें। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नंबर 6 की छः प्रतिया तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक जयपुर का पता अंकित किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो प्रार्थना पत्र के संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय को जमा कराकर रसीदे प्राप्त कि है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर के पत्र कमांक 119 दिनांक 05.04.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/425/एक्ट/2021/37 दिनांक 30.03.2021 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ पनीर सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समस्त मूल पत्रावली को अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की तथा श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय ने पत्र कमांक/ एफएसएसए /2021/187 दिनांक 27.07.2021 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। जिसकी अनुपालना में परिवाद प्रस्तुत किया गया है तथा निवेदन किया है कि सबस्टेण्डर्ड फूड पनीर का विक्रय/उत्पादन करके अप्रार्थी ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(2) का उल्लंघन किया है, अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे। प्रार्थी पक्ष द्वारा परिवाद प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी (अभियुक्त) को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। नोटिस जारी करने पर अप्रार्थी मय अधिवक्ता श्री किशन स्वामी

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) सत्यमेव जयते जयपुर

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

उपस्थित आये। अप्रार्थी द्वारा जवाब दिनांक 19.05.2022 को पेश किया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

पत्रावली पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस प्रार्थी पक्ष ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि खाद्य पदार्थ पनीर सबस्टैण्डर्ड का विक्रय करके अप्रार्थी ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उपधारा 2(2)का उल्लंघन किया है, अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी को खाद्य सरंक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 51, 52 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी स्वयं एवं अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित आये। जिन्होनें अपना जवाब दिनांक 19.05.2022 को प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने निवेंदन किया कि जांच रिपोर्ट को देखने से ऐसी कोई मिलावट होना नहीं पाया गया है, जिससे आम जनता को हानिकारक हो। प्रार्थी के उत्पाद की गुणवत्ता निर्धारित मानक अनुसार सही पायी गयी है। पनीर मानक स्तर पर सही एवं नियमानुसार होने के कारण मय पनीर पिक अप जवाबदाता को सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी ने अपने स्तर पर कोई मिलावट नहीं की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सही जांच की कार्यवाही नहीं की है। इसलिए परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद खारिज किया जाकर अप्रार्थी के विरूद्ध शास्ति माफ करने की कृपा करें एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध दर्ज प्रकरण को खारिज किया जावे।

पत्रावली पर प्रार्थी पक्ष एवं अप्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत दलील पर गौर किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह साफ जाहिर है कि अप्रार्थीगण–अभियुक्तगण द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उप धारा 2 (2) का उल्लंधन किया है। अप्रार्थी पक्ष की ओर से इस सम्बन्ध में ऐसे कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं हुये है, जिससे यह साबित हो कि उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 23.03.2021 को तैयार मौका फर्द रिपोर्ट अनुसार खाद्य पदार्थ पनीर मानक स्तर पर पाया जाने से पनीर को अप्रार्थी/ विक्रेता का सुपुर्द किया गया। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जयपुर की रिपोर्ट अनुसार खाद्य पदार्थ पनीर में Moisture ही मानक स्तर पर सही नहीं पाया गया जबकि अन्य सभी मानक स्तरो पर खाद्य पदार्थ पनीर गुणवत्तापूर्ण पाया गया है। अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थीगणों–अभियुक्तगणों पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध कारित होने पर शास्ती राशि रू0 10,000/–(अक्षरे दस हजार रूपये) लगाई जाती है। अप्रार्थीगण–अभियुक्तगण जुर्माना राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट हैड में 15 दिवस की अवधि में जमा कराना सुनिश्चित करें तथा राशि जमा करा कर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे। प्रार्थी पक्ष को निर्णय की प्रति पालना सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.05.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश कुमार शर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति.कलक्टर एवं अति.जिला
मजिस्ट्रेट–प्रथम जयपुर